न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 32/2015

सन्तरो देवी पत्नी देवी – लाल जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नं. 28 (पुराना वार्ड नं. 8) सूरतगढ़ तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. नौरंगराम पुत्र बीरबल } जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 28 सूरतगढ़
2. सावित्री देवी पत्नी नौरंगराम } तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. जड़ाव (मृतक) बेवा रामलाल जाति सैनी निवासी सूरतगढ़।

3/1 उर्मिला देवी पुत्री जड़ाव पत्नी रतन सिंह जाति सैनी, निवासी सैनी मोहल्ला सूरतगढ़ हाल आबादी मकान नं. 546 अरबन स्टेट–2 हिसार।

4. उप पंजीयक सूरतगढ़ ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

——रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 43/2015

सन्तरो देवी पत्नी देवी – लाल जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नं. 28 (पुराना वार्ड नं. 8) सूरतगढ़ तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. नौरंगराम पुत्र बीरबल } जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 28 सूरतगढ़
2. सावित्री देवी पत्नी नौरंगराम } तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. जड़ाव (मृतक) बेवा रामलाल जाति सैनी निवासी सूरतगढ़।

3/1 उर्मिला देवी पुत्री जड़ाव पत्नी रतन सिंह जाति सैनी, निवासी सैनी मोहल्ला सूरतगढ़ हाल आबादी मकान नं. 546 अरबन स्टेट–2 हिसार।

4. उप पंजीयक सूरतगढ़ ।

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

—–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
दिनांक 28.04.2015 एवं 04.05.2015

उपस्थितिः—

श्री भागीरथ विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 29.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/ अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 188, 209, 207 का पेश कर चक 45 एसटीजी के खाता सं. 15 की कुल 4.693 है. में से 1.619 है. भूमि प्रतिवादीगण से अलग कर इसी अनुसार रकम कायम करने एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । उक्त वाद सं. 78/2008 पर दर्ज हुआ एवं इसी प्रकार एक अन्य वाद प्रतिवादी नौरंगराम ने रा. का.. अधि. की धारा 88, 53, 188 पेश कर चक 45 एसटीजी के प. नं. 18/377 के कि. नं. 16, 17, 24, 25 की 0.923 है. भूमि को वादी को खातेदार घोषणा करने एवं विभाजन करने का निवेदन किया । उक्त वाद सं. 117/2008 दर्ज हुआ । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही वादों का एकसाथ निर्णय करते हुए वाद सं. 117/18 पूर्ण रूप से स्वीकार कर एवं वाद सं. 78/2008 आंशिक रूप से स्वीकार किए गए एवं विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगाने के आदेश दिए गए । दोनों ही अपीलों को रेस्पो. को रजिस्टर्ड एडी सम्मन से तलब किया गया लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में अपीलांट

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो वाद अलग–अलग पेश हुए थे एवं भूमि अलग–अलग थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादों का निर्णय अलग–अलग करना चाहिए था किन्तु एकसाथ निर्णय कर दिया । अपीलांट वादी द्वारा जो अनुतोष चाहा था वो नहीं दिया गया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सं. 117/2008 व 78/2008 को इकजाई कर वाद सं. 117/2008 अन्तरिम रूप से निर्णित किया है जबकि वाद सं. 78/2008 आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किया है जो Consolidated दावों के दो अलग–अलग निर्णय नहीं हो सकते। अतः सही वैधानिक निर्णय हेतु अपील अपीलांट स्वीकार, अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किए जाते हैं कि दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात निर्णित कर उन पर साक्ष्य संगृहित कर प्रत्येक तनकी का विनिश्चय कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

NOT– फैसले में लिपिकीय त्रुटि के कारण देवी के आगे लाल अंकित किया गया एवं विरुद्ध आदेश S.D.M. सूरतगढ़ के निर्णय दि० 28-4-15 को हटाया गया

13/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)